



बिहार सरकार

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, लि० पटना
(बिहार सरकार का उपक्रम)

अल्पकालीन ई०-कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या- 10 / 2026-27

- 1 विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना-800023
- 2 ई०-निविदा आमंत्रण की तिथि : दिनांक: 17.06.2026
- 3 ई०- निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक: 27.06.2026 से 14.07.2026 को 15:00 बजे तक।
- 4 निविदा कागजात जमा (अपलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय। : दिनांक: 15.07.2026 के 15:00 बजे तक।
- 5 निविदा कागजात विक्री का स्थान : केवल वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर
- 6 प्री-बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक-3.07.2026 को 16:00 बजे संबंधित उप महाप्रबंधक के कार्यालय में।
- 7 प्री-बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक: 6.07.2026 को 16:00 बजे, मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना-23
- 8 निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक: 16.07.2026 को 15.00 बजे।
- 9 निविदा कागजात प्राप्ति का स्थान : केवल वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर।
- 10 निविदा वैधता की तिथि : 120 दिन
- 11 कार्य का विवरण:- :

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (₹ में)	अग्रधन की राशि (₹ में)	निविदा के परिमाण विपत्र का मूल्य (₹ में)	ई० कोटेशन शुल्क	कार्य की अवधि (वर्ष में)	उप महाप्रबंधक का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5-Years Comprehensive Annual Maintenance contract (after Reconditioning work) for Three no of Techno Make 8 Passenger (B+G+6) Lift in Anjuman Islamia Hall, Ashok Rajpath, Patna से संबंधित कार्य।	As Per offer.	2% of Quoted Amount	5,000.00	As per Website	5 वर्ष	उप महाप्रबंधक, पटना।

- 12 ई-कोटेशन अंजुमन इस्लामियाँ हॉल, अशोक राजपथ, पटना में अधिष्ठापित तीन अदद लिफ्ट का 5 वर्षों के लिये एक साथ एकरारनामा किया जाना है।
- 13 कोटेशनदाता को पाँच वर्ष के लिये तीन लिफ्ट के रख-रखाव का अलग-अलग दर देना होगा।
- 14 कोटेशनदाता का एकरारनामा पाँच वर्ष के लिए होगा, प्रथम वर्ष के कार्य संतोषजनक होने पर अगले वर्ष के लिए एकरारनामा का विस्तार किया जा सकता है।
- 15 कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हों अथवा राष्ट्रीय स्तर के हों कोटेशन/निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद भवन निर्माण विभाग में समुचित श्रेणी में ऑनलाईन निबंधन (भवन निर्माण विभाग का ज्ञापांक:-5501(भ०), दिनांक:-20/9/2021 के आलोक में) कराना अनिवार्य होगा। वैसे संवेदक जो निविदा में भाग लेने के लिये भवन निर्माण विभाग का निबंधन उपयोग में लाते हैं उनका ऑनलाईन निबंधन ही मान्य होगा।
- 16 कोटेशन केवल ई-कोटेशन/निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी **Toll Free No.-18005726571** से प्राप्त किया जा सकता है।
- 17 ई-कोटेशन में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्वोरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को **DSC (Digital**

✓

Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।

18. कोटेशनदाताओं को सिर्फ वेबसाइट पर ही, कोटेशन कागजात प्राप्त (डाउनलोड) एवं जमा (अपलोड) करना होगा। सुनिश्चित जगहों पर भरे गये विहित प्रपत्रों को एवं आवश्यक कागजातों को समर्पित करना होगा। कोटेशन खुलने की जानकारी तथा कोटेशन संबंधित किसी भी प्रकार के शुद्धि-पत्र की जानकारी निगम के वेबसाइट <https://bsbcl.bihar.gov.in/> www.eproc2.bihar.gov.in से प्राप्त होगी।
19. परिमाण विपत्र के मूल्य की राशि (जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान ऑनलाईन अर्थात् Internet Payment Gateway (IPG) के माध्यम से जमा करना होगा एवं उक्त वर्णित Internet Payment Gateway (IPG) की छायाप्रति संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, (कॉलम-8 के अनुसार) अथवा महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना अथवा मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय में निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व जमा करने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है।
20. Bid Processing/ e- Quotation fee + Service Tax (कॉलम-06) का भुगतान संवेदक Internet Payment Gateway (Credit/ Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/ RTGS Challan के माध्यम से BSEDC के Bid Processing Fee Account में Credit करेंगे। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। यह फीस निविदा/कोटेशन प्रपत्र डाउनलोड की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य है।
21. अग्रधन की राशि संबंधित उप महाप्रबंधक, (कॉलम-8 के अनुसार), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० के नाम से (1) Bank Guarantee(e-BG) अथवा (2) Online (Internet Payment Gateway (IPG), (Challan) के रूप में होना चाहिए। अग्रधन की राशि, मूल रूप में, संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० (कॉलम-8 के अनुसार) होना चाहिये।
22. कोटेशन दाता/एजेंसी/संवेदकगण द्वारा विभिन्न प्रयोजन हेतु जमा करायी जाने वाली बैंक गारंटियों की सत्यता का Real Time जाँच एवं Expiry से पहले नवीकरण हेतु बेहतर प्रबंधन आदि से संबंधित कार्य को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा ICICI Bank के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। अतएव, निविदादाता/संवेदकगण कृपया BG Issuer Bank से BG जारी कराते समय Advising Bank के रूप में ICICI Bank, Branch-Exhibition Road, Patna, (IFSC Code- ICIC0006259) को OPT करना सुनिश्चित कराएंगे। हालाँकि कोटेशन दाता/ निविदादाता/एजेंसी/संवेदकगण EMD/SD आदि की राशि हेतु पूर्व की भाँति किसी भी Nationalised Bank/SBI द्वारा निर्गत बैंक गारंटी जमा कराने हेतु स्वतंत्र होंगे।
23. दिनांक-1/2/2019 के बाद CA द्वारा Certified/Audited/Attested किये गये Documents यथा Audited Balance Sheet/Turnover Certificate/अन्य आवश्यक दस्तावेज पर UDIN नं० अंकित कराने के उपरान्त ही कोटेशन दाता/निविदादाता इसे e-Proc2 पर अपलोड करेंगे।
24. वेबसाइट पर Tender free view में कोटेशन प्रपत्र उपलब्ध है। कोटेशन प्रपत्र में दर्शाए गये स्वरूप में ही अग्रधन की राशि स्वीकार्य होगी।
25. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० (कॉलम-8 के अनुसार)/महाप्रबंधक (दक्षिण/उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
26. बिना कारण बताये कोटेशन को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
27. परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है।
28. कार्यावंटन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प एवं परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का निर्माण कार्य में पालन करना अनिवार्य होगा।
29. भवन निर्माण विभाग का ज्ञापांक-5768(भ),दिनांक:-18/7/2023 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार कोटेशन दाता/ निविदादाता को उक्त पत्र के आलोक में एकरारनामा के समय उनके द्वारा निविदित दर के अनुसार Additional Performance Guarantee जमा करना अनिवार्य होगा।
30. कोटेशनदाता/ निविदादाता निविदा अपलोड करते समय एक शपथ-पत्र अपलोड करेंगे जिसमें यह वर्णित होना चाहिए कि वह बिहार सरकार/भारत सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/आदि से डिबार/कालीकृत नहीं हैं। निविदा प्राप्ति के उपरांत एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक का ऐसा कृत्य संज्ञान में आता है जिसके कारण अभियंता प्रमुख द्वारा बिहार ठीकेंदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका-11 (क) के तहत उन पर अपराधिक मामला बन जाता है अथवा निबंधन कालीकृत/ निलंबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसका प्रभाव कार्य आवंटन तक होगा।
31. निविदादाता निविदा अपलोड करते समय शपथ-पत्र अपलोड करेंगे वह निविदा की तिथि के बाद का हो, संलग्न (अपलोड) करना

- अनिवार्य होगा। पुनर्निविदा की स्थिति में उक्त कार्य के लिए प्रथम/मूल निविदा की तिथि के बाद का निर्गत अभिलेख भी मान्य होगा।
- 32 यह निविदा एस0बी0डी0 में निहित प्रावधानों के अनुरूप है।
- 33 निविदा एस0बी0डी0 की कंडिका 2A विलोपित समझा जाए।
- 34 गृह विभाग के पत्रांक-29 दिनांक-25.01.2021 के आलोक में कार्य का आवंटन निविदा के माध्यम से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों (संवेदक एवं उपसंवेदको) से जिला पुलिस के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एकरारनामा के पूर्व समर्पित करना अनिवार्य होगा।

ज्ञापांक:- 2375

दिनांक: 17/6/20

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को e-advertisement के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित ।

ह0/-

मुख्य महाप्रबंधक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।

मुख्य महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।